राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/1259 दिनांकः 03.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका) (कलक्टर)।

विषय :– नगरीय निकायों के आम चुनाव– पत्रकारों को प्रवेश– मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द्र पर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का निषेद्य।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4587 दिनांक 01.11.2019 को अधिक्रमित करते हुए नगरीय निकायों के निर्वाचन के सुचारू संचालन, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–k के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान के दिन मतदान केन्द्रों में एवं मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों में पत्रकारों व अन्य मीडियाकर्मियों के प्रवेश की अनुमति के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदत्त करता है कि **जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंषा पर अधिस्वीकृत पत्रकार व अन्य मीडियाकर्मी को स्वयं की संतुष्टि पर मतदान केन्द्रों व मतगणना स्थलों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर सकेंगे। जिला जनसम्पर्क अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने के लिए उनके द्वारा की गई अनुशंषा में पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों की संख्या यथोचित मात्रा में हो। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त नहीं करेंगे।**

प्रवेश निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगेंः–

1. अधिकार पत्रधारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाये तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं करेंगे और ना ही मोबाइल फोन ले जा सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दे और भवन से बाहर जाने के लिए निर्देशित कर दें, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।
2. नगरपालिका सदस्यों के मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्रधारी कोई भी पत्रकार/कैमरा टीम को वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जावे और ना ही उन्हें मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जावे।
3. नगरीय निकायों की मतगणना हेतु बनाये गये मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहॉ सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए और जब अधिकार पत्रधारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाइल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाए लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे समय

मतगणना कक्ष में उनके साथ रहे ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो।

4. मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मतों की गोपनीयता बनाये रखने हेतु और मतगणना की सुचारू व्यवस्था हेतु ऐसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवे जो उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करता हो भले ही उसके पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

5. मतगणना स्थल पर एक समाचार पत्र के लिए एक पत्रकार एवं एक फोटोग्राफर के लिए ही प्रवेश पत्र जारी किए जायें।

6. प्रवेश पत्र जिन पत्रकारों/मीडिया कर्मियों को जारी किये जाने हैं उनके नामों की अनुशंषा विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास चुनाव से 15 दिवस से पहले तक प्राप्त हो जायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिशिचित करने हेतु सभी संबंधित को अवगत कराया जाये और अधिस्वीकृत पत्रकारों को मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए अधिकार पत्र जारी करते समय उक्त शर्तों का उल्लेख भी किया जाये।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव